Need to check growing incident of atrocities on women

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का ध्यान विशेष उल्लेख के जरिये महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराधों और अत्याचारों के प्रति आकृष्ट करना चाहती हूं। वैसे तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन अखबारों की सुर्खियों में महिलाओं के साथ घटी किसी दर्दनाक या शर्मनाक घटना का जिक्र नहीं आता हो पर सदन का भी शायद कोई सत्र ऐसा नहीं बीतता जिसमें इस तरह की घटनाओं की गूंज सदन में सुनाई नहीं देती हो। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस सब के बावजूद भी परिणाम वही रहता है--ढाक के तीन पात। महोदय, बजाय घटनाओं के कम होने के यह बात दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। पिछले दो दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई हैं जिनके कारण विशेष उल्लेख के जरिये मैं इस मसले को उठाना चाहती हूं। एक घटना तो आपने आज स्वयं पढ़ी होगी इण्डियन एक्सप्रेस में जिसका शीर्षक है "Women stripped, paraded by kin." आन्ध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के पेनुगोंडा गांव में एक महिला गोंडादुर्गा को जो दो महीने का गर्भ धारण किये हुए थी, इस महिला को उसके 9 रिश्तेदारों ने साइकिल की चेनों से पीट पीट कर, चमड़े की पेटियों से पीट पीट कर एकदम निर्वस्त्र करके गलियों में घुमाने का कुकर्म किया है। आप जानते हैं कि बिलकुल ऐसी ही घटना पिछले सत्र में जो आन्ध्र प्रदेश में घटी थी, श्रीमती रेणुका चौधरी जी यहां बैठी हैं, उन्होंने और श्रीमती कमला सिन्हा ने उस मसले को सदन के अन्दर उठाया था। एक तो इस तरह की वारदातें हैं जिनका शिकार महिलाएं होती हैं लेकिन एक दूसरी तरह की वारदातें मेरे अपने प्रदेश हरियाणा में घटने लगी हैं। महोदय, यह दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं। एक घटना हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र के भूतमाजरा गांव में घटी। दो ब्राह्मण लड़कियां अपने घर से खेत में साग तोड़ने गईं और वापिस घर नहीं लौटी। जब उसके मां बाप और पूरा गांव खोजने के लिए निकले तो उस में एक लड़की की लाश तो पास बहती हुई नहर से प्राप्त हुई और दूसरी का न तो जिन्दा शरीर आज तक मिला है और न मृत शरीर मिला है। तीन महीने हो गये हैं। उपसभाध्यक्ष महोदय, आप भी न्यायाधीश रहे हैं, मैं आपका ध्यान चाहूंगी, पुलिस ने यह कहा कि वह संदिग्ध चरित्र की लड़कियां हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहती हूं कि इस देश का कौन-सा ऐसा कानून है ? एक मिनट के लिए मैं मान लूं कि वह लड़कियां संदिग्ध चरित्र की थीं तो भी इस देश का कौन सा कानून या संविधान इजाजत देता है कि संदिग्ध लोगों को नहरों के अन्दर बहा कर मार दिया जाए। उसके बाद पुलिस मूक दर्शक बन कर देखती रहे। पुलिस पहले भी मूक दर्शक बन कर देखती रहती है और बाद में भी मूक दर्शक बन कर देखती रहती है। आज तीन महीने होने को आए हैं आज तक दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई बल्कि मुजरिमों की भी गिरफ्तारी आज से कुल तीन दिन पहले हुई है। इसका रोष अभी हरियाणा-वासियों में कम नहीं हुआ था कि परसों एक और घटना सामने आ गई जिसका जिक्र कल के दैनिक जागरण में ब्लाक के अन्दर निकला है जिसका शीर्षक लगाया है "इन्साफ नहीं मिला तो मौत को गले लगाया।" यह एक ऐसी दर्दनाक घटना है शायद आपके न्यायाधीश के कार्यकाल में भी आपको कभी ऐसी घटना सुनाई नहीं दी होगी। एक लड़की जो हरियाणा के भिवानी जिले के चरखी दादरी तहसील की रहने वाली है उसको तीन लड़के आते जाते छेड़ते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, उसका पीछा करते हैं। वह लड़की बी. काम. पास है और एम. काम. में पढ़ रही है। उस लड़की ने इसके बारे में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की कि मेरा पिंड छुड़ाओ यह लड़के मुझे तंग करते हैं लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। हरियाणा के मुख्य मंत्री भिवानी जिले के दौरे पर गए तो वह लड़की सारी रुकावटें तोड़ती हुई मुख्य

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

मंत्री से मिली। उसने शिकायतकी कि सर मेरे साथ यह हो रहा है, मुझे न्याय दिलवाइये। मुख्य मंत्री तो चले गए पर अचानक रात के 12 बजे क्योंकि डी. एस. पी. की शिकायत की गई थी वहां के अधिकारियों की शिकायत की गई थी रात के 12 बजे उस लड़की के मां-बाप को बुलाया। उनको अपमानित किया और कहा कि इसी समय लड़की को पेश करो। उन्होंने कहा कि रात को 12 बजे लड़की को कहां से पेश करें तो बोले अच्छा, तुम पेश नहीं करते तो मैं जानता हूं पेश करवाना। एक कांस्टेबल को एक जीप के साथ भेज दिया। रात को 12 बजे उस लड़की को घुलवा लिया थाने के अंदर। उसकी मां के हाथ में डंडा थमा दिया और कहा कि इसको पीट। वह कहती है कि मैं अपनी लड़की को कैसे पीटूं। उसने कहा कि नहीं पीटती तो तुझे भी पीटूंगा और उसे भी पीटूंगा। उसकी मां की भी पिटाई की, लड़की को थप्पड़ मुक्के मारे। वहां से रात को एक बजे वे लोग अपने घर आये। वह लड़की अगले दिन डिप्रेशन में दिल्ली चली आई और यहां आकर बापूनू घर के अंदर शरण ली और इस 29 तारीख को बापूनू घर की प्रमुख ने उन अध्यापक दंपति को तार देकर कहा कि वह लड़की सुबह से गायब है। पता नहीं कहां है। जैसे ही यह सूचना मिली। मां बाप दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। यह परसों की घटना है। मुझे समझ में नहीं आता कि सभ्य कहे जाने वाले इस युग में संभ्रांत कहे जाने वाले इस समाज में, नरनारी समता की दुहाई देने वाले संविधान के चलते इस देश में इन दुखियारी महिलाओं की कौन सुनेगा। कभी उन्हें नंगा करके नचाया जाता है, घुमाया जाता है, कभी उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाया जाता है, कभी उन्हें दहेज की बलिवेदी पर चढ़ाया जाता है। कभी उन्हें गायब करके कत्ल किया जाता है और कभी उन्हें मानसिक यातना देकर आत्महत्या की ओर धकेला जाता है।

महोदय, मैं जानती हूं कि आज तक ऐसी कई बातें सदन में गूंजी हैं लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकला है। तो भी इस मसले को इसलिए मैं उठा रही हूं कि शायद बार बार कहने के बाद कहीं हमारी मरी हुई संवेदना जाग जाए, शायद इसे थोड़ा बहुत झटका लगे, शायद इन सरकारों के जवाबदेही के सिद्धांतो को हम स्थापित कर सकें क्योंकि इन सब वारदातों के बावजूद सरकारों में कोई हिलजुल नहीं होती, कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई उनको टोकने वाल नहीं। मैंने तो इसलिए कहा कि अगर और कुछ नहीं होगा तो कम से कम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस तरह के मसले उठाने का आत्मसंतोष तो मुझे जरूर प्राप्त होगा।

आपने समय दिया। उसके लिए धन्यवाद।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY (Andhra Pradesh): Sir, I rise to associate myself.... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): I will get a report from the Haryana Government and make a statement in the House.

SHRI YASHWANT SINHA (Bihar): Since the Home Minister has assured the House that he will make a statement in the House, I would request him to enquire into a similar case which had taken place in Dhanbad, which my friend, Shri Ahluwalia had referred to the other day. In this case a housewife was abducted. The day before yesterday or yesterday she was dropped a few feet away from the police station in an unconscious state and she has not regained consciousness. I would suggest to the Home Minister that that case may also be enquired into.

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश): महोदय, मध्य प्रदेश में भी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं, उत्तर प्रदेश में हुए हैं। इन तथ्यों को भी ध्यान में रखें.... (**व्यवधान**)

श्री महेन्द्र सिंह लाठर (हरियाणा): मैं होम मिनिस्टर साहब से यह कहना

चाहता हूं कि जो कुछ हरियाणा में हो रहा है उस पर खास तवज्जह दें । जब से भजन लाल आया है वहां एक नहीं दो नहीं अनेकों इस किस्म के वाकये हो रहे हैं.... **(व्यवधान)**

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : जब से भजनलाल नहीं.... **(व्यवधान)** जब से देवीलाल बैठे हैं उसी वक्त से सब हो रहा है ।

श्रीमती रेणुका चौधरी : यह देवीलाल की बात नहीं है । यह महिलाओं की बात है ।

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश) : यह महिलाओं का केस है ।

श्रीमती सत्या बहिन : मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश को भी शामिल किया जाए ।

कुमारी सईदा खातून : महिलाओं की बात है इसलिए पूरे हिंदुस्तान में जहां भी अत्याचार हो रहे हैं.... **(व्यवधान)** उसकी जांच होनी चाहिए ।

THE VICE-CHAIRMAN SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): These are very serious matters. Let us not involve personal issues. (*Interruptions*). No party can be held responsible Please sit down. Crimes are committed at personal level. These are really agonising incidents. I am sure the whole House shares the concern voiced by all the hon. Members. The Home Minister is here and I am sure that the Government will take certain steps.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Since the Home Minister has risen and has given an assurance, it is truly to be commended. He was in the House when I had raised a similar incident relating to a woman. So, I want to associate with my colleague.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, माननीय गृह मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं और उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की कि वे हरियाणा सरकार से रिपोर्ट लेंगे । मैं यह कहना चाहती हूं कि इस तरह की वारदातें, घटनाएं रोज बढ़ती जा रही हैं । इन घटनाओं के घटने का कारण यह है कि अपराधियों को सजा नहीं मिलती है । अपराधी सौ में से 99 प्रतिशत मामलों में कायदा छूट जाते हैं और इसलिए हम महिलाओं ने यह मांग की थी कि महिलाओं के लिए एक महिला आयोग का गठन किया जाए, लेकिन इनकी सरकार के आने के बाद यह हुआ कि महिला आयोग से लगातार कन्नी काटी जा रही है । **(समय की घंटी)**

पहले महिला आयुक्त की बात की गई और उसके बाद अब यह हमारे सुनने में आया है कि यह दो महिला आयोग बनाने जा रहे हैं ।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि आखिर क्या कारण है कि जिस विधेयक को दोनों सदनों ने सर्व-सम्मति से पास किया, उसके कानून बन जाने के बावजूद, आज उस आयोग को बनाने में कौन सी बाधा आ रही है, कौनसी दिक्कतें आ रही हैं ? क्या कारण है कि अगर महिलाओं की मांग रही है ....**(व्यवधान)** महिलाएं कोई बच्चा नहीं हैं कि उनको झुनझुना दे दिया । वे कोई रोता हुआ बच्चा नहीं हैं कि आप उनको झुनझुना देकर बहला रहे हैं ।

इसलिए मैं चाहती हूं कि सरकार इस बात पर अपनी राय जाहिर करे कि आखिर महिला आयोग के बनाने में कौनसी दिक्कतें आ रही हैं और क्या कठिनाइयां हैं ?

कुमारी सईदा खातून : महोदय, मैं भी माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार के बारे में जो जांच चालू की जाएगी, तो उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार—इन तीनों स्टेट्स को भी शामिल करेंगे कि नहीं

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The whole House shares your anxiety.

एक माननीय सदस्य : सारे हिंदुस्तान को शामिल करेंगे ।

श्री एस०बी० चव्हाण : जहां-जहां पर महिलाओं के ऊपर अत्याचार के सिडेंट्स होते हैं, चाहे वे किसी इलाके में हों—मेहरबानी करके इसको राजनीति का सवाल मत बनाइये इसको जरूर अलग ढंग से ही देखना होगा और अगर अत्याचार कहीं भी होता है, तो उसकी जांच करना जरूरी है, तो सरकार करेगी । उसमें क्या दिक्कत है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now this assurance by the Home Minister to this House, I think, should satisfy everyone concerned.

Now, Mr. Vishwasrao Ramrao Patil, not present. Mr. Salaria.

Murderous attack by A.B.V.P. activists on Dr. Farooq Abdullah and media persons at Indore, Madhya Pradesh

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): Thank you Mr. Vice-Chairman. This is to bring to the notice of the Government, the deteriorating law and order situation under the BJP Government in Madhya Pradesh and dastardly murderous attack by ABVP activists at Indore on Dr. Farooq Abdullah and the media persons. Similar actions and nefarious acts have already been committed in Bombay where a cricket match had to be abandoned and the pressmen were attacked. The attack was premeditated and preplanned. Although the Government of Madhya Pradesh was informed in advance, it failed to take necessary steps to ensure the security and law and order arrangements. The Deputy Superintendent of Police and other police officials who happened to be there stood silent spectators to the shameful and preplanned attack. They did not even move their little finger to see that the attack was not perpetrated. The whole anarchy continued and they resorted to the use of lathis and blows. The activists attacked the pressmen also. They indiscriminately attacked them with sticks and stones and damaged the car. Had the pressmen not formed a human wall to protect the life of the ex-Chief Minister, his life and the lives of many media persons would have been in danger.

In a democratic country such nefarious activities are not only an anachronism but also opposed to the very spirit and basic feature of the Constitution. It is said that communal and obscurantist elements under the BJP Government in Madhya Pradesh are trying to subvert democracy and secular forces. The Government should take serious note of this. The persons involved in this attack should be tried and penalised according to law.

In the democratic set-up enshrined in the Constitution of India, fascist forces cannot be allowed to thwart the fundamental rights of the citizens and the voice of reason. Things are going out of hand. I would request the hon. Home Minister to take the matter into consideration and see that further deterioration does not take place and that the voice of reason and the right of speech of the people at large is not stifled by fascist and unreasonable forces.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Somnal not present. Mr. Anand Prakash Gautam.

Brutal Lathi Charge on the Striking Dalit Students by police in Lucknow

श्री आनन्द प्रकाश गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस विशेष उल्लेख के माध्यम से दलित छात्रों पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठी चार्ज की एक बहुत ही दर्दनाक एवं निंदनीय घटना की ओर सदन और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को राज्य के खर्चे पर शिक्षा, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश एवं शिक्षक पदों पर आरक्षण कोटा पूरा करने की अपनी मांगों